भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
<u>अतारांकित प्रश्न सं. 1067</u>
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016/9 वैशाख, 1938 (शक) को दिया जाना है)

पाटन-रोधी शुल्क

1067. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मानती है कि कई देश चीन के सौर पैनल पर पाटन-रोधी शुल्क अधिरोपित करते हैं जबकि भारत अधिक शुल्क अधिरोपित नहीं करता;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के सौर पैनलों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप भारतीय निर्माताओं के लिए बाजार का क्षरण हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) और (ख) :

i. इस समय चीन से आयात किए जाने वाले सोलर पैनलों पर कोई भी प्रतिपाटन शुल्क लागू नहीं है। प्रतिपाटन और शुल्क महानिदेशालय, घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनों, जिनमें देश में संबंधित वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति होने तथा पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच करणीय संबंध होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो, के आधार पर प्रतिपाटन जांच-पड़ताल संचालित करता है।

ii. चीन जनवादी गणराज्य सहित विभिन्न देशों से, सोलर पैनलों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने संबंधी याचिका प्रतिपाटन और संबंध शुल्क महानिदेशालय में 18.09.2015 को प्राप्त हुई थी। घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी देने के लिए कहा गया था जो कि अभी तक प्रदान नही की गई है।

ग. सोलर पैनलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद की निम्नलिखित छूटें/ रिआयतें प्रदान की हैं:

क) सोलर फोटो वोल्टेक सेल/ मॉड्यूल और उनके आगतों पर उनके उत्पादन के संबंध में शून्य आधारभूत सीमा शुल्क

ख) सोलर फोटो वोल्टेक सेल और उनके पुर्जों पर उनके उत्पादन में प्रयोग किए जाने के क्रम में शून्य उत्पाद शुल्क

ग) सोलर फोटो वोल्टेक सेल/ मॉड्यूल के उत्पादन के लिए विशिष्ट आगतों पर शून्य आधारभूत सीमा शुल्क, शून्य सीवीडी और शून्य एसएडी

घ) सोलर ऊर्जा/ ऊर्जा परियोजनाओं के आरम्भिक गठन के लिए अपेक्षित संयंत्र और घटकों पर 5 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क, शून्य सीवीडी और शून्य एसएडी

ड) पीवी रिबन, इथाइलिन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट, सोलर बैकशीट, जिनका सोलर फोटो वोल्टाइक के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली विनिर्दिष्ट आगतों पर शून्य आधारभूत सीमा शुल्क, शून्य सीवीडी और शून्य एसएडी।

च) पुन: नवीनीकरण योग्य विद्युत प्रणाली के उत्पादन हेतु सक्रिय ऊर्जा नियंत्रकों पर 5 प्रतिशत का रिआयती आधारभूत सीमा शुल्क।

*****